पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 90/2024 दिनांक- 18.03.2024

प्रेस- नोट

थाना अतरौलिया

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक- 21.11.2023 को वादिनी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सूर्योदय पाण्डेय उर्फ सच्चू उर्फ खेसारी पुत्र वशिष्ठमणि पाण्डेय सा0 योगीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 24 द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा शादी से इंकार किया गया, के संबंध मे मु0अ0सं0 380/23 धारा 376 भादवि बनाम सूर्योदय पुत्र वशिष्टमणि निवासी ग्राम योगीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 अजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.03.24 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूर्योदय पाण्डेय उर्फ सच्चू उर्फ खेसारी उपरोक्त को छितौनी हाइवे अण्डरपास के नीचे से समय करीब 11.50 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया |गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 380/23 धारा 376 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त– सूर्योदय पाण्डेय उर्फ सच्चू उर्फ खेसारी पुत्र वशिष्ठमणि पाण्डेय सा0 योगीपुर थाना अतरौलिया आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह का0 दीपक कुमार थाना अतरौलिया जनपद आमजगढ़

थाना दीदारगंज

धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 16.11.23 को वादी मुकदमा प्रमोद कुमार चौबे पुत्र स्व0 शिवसागर चौबे निवासी ग्राम ददरा थाना तहबरपुर आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.विजेन्द्र कुमार मौर्य, 2.अरविन्द कुमार मौर्य, 3.बिरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्रगण प्रदीप कुमार मौर्य 4. प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र बासदेव मौर्य साकिनान ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज आजमगढ 5.मोराशिद पुत्र मो0 नथू निवासी मकान नं0 42 कैलाश कुन्ज फैजाबाद रोड लखनऊ द्वारा पूर्वाचल विश्व विद्यालय में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 08 लाख रूपये लिये गये तथा फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था, बाद में पैसा वापस मांगने पर गाली गलौज व धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 302/23 धारा 419,420,504,506,34 भादवि बनाम 1.विजेन्द्र कुमार मौर्य, आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था विवेचना से मुकदमा उपरोक्त धारा 467/468/471/120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक- 18.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार व उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अरविन्द कुमार मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्य ग्राम अमरेथु थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष 2. वीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्य ग्राम अमरेथु थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को भेडिया मोड के पास से समय करीब 8.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 302/23 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अरविन्द कुमार मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्य ग्राम अमरेथु थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष
2. वीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्य ग्राम अमरेथु थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

2. उ0नि0 अवधेश कुमार , का0 हरेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- अहरौला

गैंगेस्टर के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये जुर्माना

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-28.08.2008 को वादी मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी अहरौला मोहन लाल वर्मा के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 300/2008 धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त यशवन्त सिंह उर्फ झब्बू सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी शम्भूपुर (पूरा) थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध हत्या, हत्या के प्रयास चोरी व लूट जैसे गम्भीर अपराधों में कुल 11 मुकदमें पंजीकृत है।

➡ गैगेस्टर के अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 18.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट नं0- 06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त यशवन्त सिंह उर्फ झब्बू सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी शम्भूपुर (पूरा) थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।